


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान,, जयपुर।
2. सभागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी कार्मिक क-1, विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, साठनी०विठ०/जन स्वाठा०अभिठ०विठ०/जयपुर विठ०विठ०निगम लिठ०, गांधीनगर/मालवीयनगर जयपुर।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आदेश का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अधिकारी में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
10. संबंधित अधिकारी।
11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
14. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
15. निजी सचिव, प्रमुख, शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।


(मुन्नालाल शर्मा) १०/९/१८
शासन सहायक सचिव